डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. बुधराम पुत्र मूलचन्द बैरवा
2. मोती पुत्र मूलचन्द बैरवा
निवासीयान गज्जुपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादीगण

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र रामसहाय बैरवा
2. रामकेश पुत्र रामसहाय बैरवा
3. हरिमोहन पुत्र रामसहाय बैरवा
4. इमरती पुत्री रामसहाय पत्नि रमेश चन्द बैरवा निवासी लोटवाडा तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. ललिता पुत्री रामसहाय पत्नि लाल बैरवा निवासी ग्वारकी तहसील महवा जिला दौसा।
6. सुनीता पुत्री रामसहाय बैरवा
7. कौशल्या बेवा रामसहाय बैरवा
जाति बैरवा निवासी गज्जूपुरा तहसील टोडाभीम जिला दौसा।
8. रामधन पुत्र सावलिया बैरवा निवासी गज्जूपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
9. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

दावा बावत इस्तकरारहक (घोषणा खातेदारी), इन्द्राज दुरूस्ती
तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 93/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट मिनजानिब गुदई रूबरू, श्री लखन लाल मीना एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः वादी बुधराम पुत्र मूलचन्द जाति बैरवा निवासी गज्जूपुरा को ग्राम बैरोज स्थित आराजी ख0न0 798/2 रकवा 0.47 है0 का, वादी मोतीलाल पुत्र मूलचन्द जाति बैरवा निवासी गज्जूपुरा को 798/1 रकवा 0.48 है0 का, प्रतिवादी मोहरसिंह, रामकेश, हरीमोहन पि0 रामसहाय, इमरती, ललिता, सुनिता पुत्री रामसहाय, कौशल्या पत्नि स्व0 रामसहाय जाति बैरवा निवासी गज्जूपुरा हि.ब. को ख0न0 798/3 रकवा 0.48 है0 का तथा प्रतिवादी रामधन पुत्र सावलिया जाति बैरवा निवासी गज्जूपुरा को ख0न0 798 रकवा 0.47 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी मे दखलन्दाजी नही करे। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा।

निज.....................मुबलिंग............................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. .अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.02.2020 को जारी की गई।

28/2/2020
उपजिला कलक्टर
दस्तखत.....टोडाभीम (करौली)
ओहदा.........................

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 93/19

तारीख रजू:– 17.8.19

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. बुधराम पुत्र मूलचन्द बैरवा
2. मोती पुत्र मूलचन्द बैरवा
   निवासीयान गज्जुपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादीगण

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र रामसहाय बैरवा
2. रामकेश पुत्र रामसहाय बैरवा
3. हरिमोहन पुत्र रामसहाय बैरवा
4. इमरती पुत्री रामसहाय पत्नि रमेश चन्द बैरवा निवासी लोटवाडा तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. ललिता पुत्री रामसहाय पत्नि लाल बैरवा निवासी ग्वारकी तहसील महवा जिला दौसा।
6. सुनीता पुत्री रामसहाय बैरवा
7. कौशल्या बेवा रामसहाय बैरवा
   जाति बैरवा निवासी गज्जूपुरा तहसील टोडाभीम जिला दौसा।
8. रामधन पुत्र सावलिया बैरवा निवासी गज्जूपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
9. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा बावत इस्तकरारहक (घोषणा खातेदारी), इन्द्राज दुरूस्ती
तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थिति:– श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट (वादीगण)
श्री लखन लाल मीना एडवोकेट (प्रतिवादीगण)

निर्णय दिनांक:– 28.02.2020

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बेराज स्थित आराजी ख0न0 798 रकवा 1.90 है0 जो कि साबिक ख0न0 1753 रकवा 17 बिस्वा, 1754 रकवा 6 बीधा 9 बिस्वा, 1747 रकवा 9 बिस्वा से कायम किये गये है। उक्त आराजी मे 1/3 हिस्से का खातेदार वादी न0 2 है 1/3 हिस्से के प्रतिवादी न0 1 ता 6 के पिता एवं 7 के पति रामसहाय रहा है एवं 1/3 हिस्से का प्रतिवादी न0 8 है उक्त खातेदारी वादी एवं प्रवितादीगण के नाम गलत दर्ज हो गई है। जिसकी इन्द्राज दरूस्ती करवाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी मे सम्वत 2037 से 2040 मे वादी न0 2 एवं प्रतिवादी न0 1 ता 6 के पिता व 7 के पति एवं प्रतिवादी न0 8 खातेदार रहे है।

यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बजुर्ग गोरधन के दो पुत्र सावलिया एवं मूलचन्द थे सावलिया बडा पुत्र एवं कर्ता खानदान था। मूलचन्द छोटा था इसलिये राजस्व रिकार्ड मे मूलचन्द का नाम नही आया लेकिन उक्त आराजी पर दोनो भाईयो का 1/2–1/2 हिस्से की जमीन पर कब्जाकाश्त रहा है। और आपस मे उक्त प्रकार से

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

श्त करते चले आ रहे है एवं सावलिया की मृत्यु हो गई। इसके बाद भी वादी न0 2 प्रतिवादी न0 1 ता 6 का पिता एवं 7 के पति रामसहाय को 1/3 एवं प्रतिवादी न0 8 को 1/3 हिस्से का खातेदार के रूप मे नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार से खातेदारी आ गई। परन्तु बुधराम छोटा होने के कारण भूल से खातेदारी मे नाम नही आया। वादी न0 1 व 2 अनपढ लोग रहे है इस कारण रिकार्ड की ज्यादा जानकारी नही रही। दूसरा कारण यह भी रहा है कि कभी वादीगण एवं प्रतिवादीगण मे कब्जा को लेकर कोई परेशानी नही रही। मौके पर वादी न0 1 बहिस्सा 1/4 की जमीन को काश्त कर रहे है, वादी न0 2 बहिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी न0 1 ता 7 बहिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी न0 8 हिस्सा 1/4 की जमीन को बिना परेशानी के काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार उक्त आराजी मे वादी एवं प्रतिवादीगण की बराबर की हिस्सेदारी की जमीन है एवं विरासत की आराजी है। इस कारण आराजी मे वादी न0 2 एवं प्रतिवादी न0 1 ता 7 जो कि रामसहाय के कानूनी वारिस है एवं प्रतिवादी न0 8 जो प्रत्येक की 1/3 हिस्से की खातेदारी है से नाम हजफ कर प्रत्येक को 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रदान की जावें एवं वादी न0 1 को भी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार नियुक्त किया जावे।

वादी न0 2 मोती के पिता का नाम सावलिया साबिक रिकार्ड दर्ज गलती से हो गया है। जबकि मोती के पिता का वास्तविक नाम मूलचन्द है मोती के समस्त दस्तावेजात मे पिता का नाम मूलचन्द दर्ज है। इस कारण जमाबन्दी हाल रिकार्ड मे मोती पुत्र सावलिया के स्थान मोती पुत्र मूलचन्द दर्ज करना आवश्यक एवं न्याय संगत है। उक्त आराजी ख0न0 798 रकवा 1.90 है0 का मौके पर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य पिताजी के जमाने से बटवारा हो रहा है। प्रत्येक के हिस्से मे 1/4 जमीन आ गई है। जिस पर काबिज कर काश्त कर रहे है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा की जावे कि आराजी ख0न0 798 रकवा 1.90 है0 स्थित ग्राम बेरोज मे वादी न0 1 बुधराम को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा वादी न0 2 को 1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी न0 1 ता 7 को 1/4 हिस्से का खातेदार, प्रतिवादी न0 8 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। एवं हाल रिकार्ड से वादी न0 2 का 1/3 हिस्से से, प्रतिवादी न0 1 ता 7 का 1/3 हिस्से से एवं प्रतिवादी न0 8 का 1/3 हिस्से से नाम हजफ करवाया जावे। एवं वादी मोती के पिता का नाम सावलिया के स्थान पर मूलचन्द दर्ज करके हाल रिकार्ड जमाबन्दी मे दरूस्त फरमाई जावे। एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 798 रकवा 1.90 मे वादी न0 1 व 2 के कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमद मदाखलत नही करे नाही किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम एवं राजीनामा इस आशय से पेश किया कि वादी न0 1 व 2 को हिस्सा 1/4–1/4, एवं प्रतिवादी न0 1 ता 7 को हिस्सा 1/4 का एवं प्रतिवादी न0 8 को हिस्सा 1/4 का खातेदार घोषित करते हुये दावा डिक्री फरमाया जावे, तथा प्रतिवादीगण का भी उक्त हिस्सानुसार आराजीयात का भी बटवारा कर दिया जावे। तथा इसी आशय के राजीनामा प्रस्तुत कर तस्दीक कराये गये।

वादी वकील ने कथन किया कि वादी न0 2 मोती के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे सावलिया दर्ज हो रहा है जबकि मोती के पिता वास्तिविक नाम मूलचन्द है। जिसके लिये मे राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता सूची पहचान पत्र प्रस्तुत किये है समस्त दस्तावेजी रिकार्ड मे मोती के पिता का नाम मूलचन्द है इसी अनुरूप रिकार्ड जमाबन्दी मे सावलिया के स्थान पर मूलचन्द दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश फरमाये जावे। साथ ही वकील

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष ने बहस करते हुये कथन किया कि मुताबिक राजीनामा एवं काउन्टर क्लेम दावा प्राथमिक डिक्री कर बटवारा स्कीम मगवाई जावे। प्रकरण की सुनवाई करते हुये साक्ष्य/दस्तावेजो एवं राजीनामा, के आधार पर ग्राम बैरोज की आराजी ख0न0 798 रकवा 1.90 है0 मे मोती पुत्र सावलिया के स्थान पर मोती पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/4, बुधराम पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/4 , प्रतिवादी न0 1 ता 7 हिस्सा 1/4, एवं प्रतिवादी न0 8 हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्कार घोषित करते हुये तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त कर बटवारा स्कीम पेश करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वकील उभयपक्षकारान ने अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया। वकील उभयपक्षकारान की सहमति पर बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जाता है।

अतः वादी बुधराम पुत्र मूलचन्द जाति बैरवा निवासी गज्जूपुरा को ग्राम बैरोज स्थित आराजी ख0न0 798/2 रकवा 0.47 है0 का, वादी मोतीलाल पुत्र मूलचन्द जाति बैरवा निवासी गज्जूपुरा को 798/1 रकवा 0.48 है0 का, प्रतिवादी मोहरसिंह, रामकेश, हरीमोहन पि0 रामसहाय, इमरती, ललिता, सुनिता पुत्री रामसहाय, कौशल्या पत्नि स्व0 रामसहाय जाति बैरवा निवासी गज्जूपुरा हि.ब. को ख0न0 798/3 रकवा 0.48 है0 का तथा प्रतिवादी रामधन पुत्र सावलिया जाति बैरवा निवासी गज्जूपुरा को ख0न0 798 रकवा 0.47 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी मे दखलन्दाजी नही करे। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:44:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: